नीली क्रान्ति

हरियाणा सरकार

मत्स्य पालन विभाग

लवणीय भूमि जल मे झीगां पालन हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के तहत् हरियाणा राज्य मे वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत लवणीय भूमि मे झीगां पालन का प्रोजैक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है । इस प्रोजैक्ट को क्रियान्वित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों /मत्स्य किसानों से आवेदन दिनांक 20–03–2017 तक आमन्त्रिंत किये जाते है । विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुदान का मुख्य स्वरूप निम्न प्रकार से है :–

1. **लवणीय भूमि मे झीगां पालन ।**

इस परियोजना के तहत् जिला रोहतक, हिसार, झज्जर, गुडगांव, भिवानी, सोनीपत, फतेहाबाद, मेवात तथा जीन्द के इच्छुक व्यक्ति जिनके पास अपनी भूमि या लम्बी अवधि पर प्राईवेट / लीज भूमि उपलब्ध हो तो तालाब निर्माण, टयूबवैल लगवाना, खाद खुराक इत्यादि पर कुल 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा शेष 50 प्रतिशत धनराशि प्रार्थी स्वयं /बैंक द्वारा ऋण लेकर वहन करेगा । प्रार्थी द्वारा जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी, रोहतक, हिसार, झज्जर, गुडगांव, भिवानी, सोनीपत, फतेहाबाद, मेवात तथा जीन्द के कार्यालय मे आवेदन पत्र जमा करवाना होगा व विभाग के नियम व शर्तो के अनुपालना हेतु एक शपथ पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा देना होगा । इच्छुक व्यक्ति इस प्रोजैक्ट हेतु अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी/जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय मे दिनांक 20–03–2017 तक जमा करवा दे ।

आवेदन पत्र

वर्ष 2016–17 मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् लवणीय भूमि में झीगां पालन हेतु आवेदन पत्र ।

फोटो

1 प्रार्थी का नाम :
2 पिता का नाम :
3 स्थायी पता (राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि)
4 प्रार्थी की आयु :
5 लवणीय भूमि जल का विवरण :
क. भूमि की मलकियत (भूमि की फर्द जमाबंदी सहित)
ख. पंचायत से पट्टे पर ली गई भूमि पर तालाब का निर्माण (4 न0 की रसीद व पट्टा अवधि का प्रमाण पत्र)
6. लवणीय भूमि जल/तालाब का विवरण
क. गांव का नाम :
ख. तालाब का नाम :
ग. तालाब की भूमि का किला न0 :
ध. तालाब की भूमि का क्षेत्रफल :
ड. तालाब का जलक्षेत्र :
7. प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव (दस्तावेजों की छायाप्रति सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी से सत्यापित होने चाहिए):
8. प्रार्थी द्वारा यह शपथ पत्र देना होगा की वह विभाग के माप दण्ड़ो के अनुसार उक्त परियोजना का कार्य 3 वर्षो तक करेगा तथा 50 प्रतिशत धनराशि स्वयं या बैंक से ऋण लेकर वहन करेगा ।
9. मत्स्य शिक्षा संस्थान लाहली (रोहतक)/ जलकृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार द्वारा जारी की गई मिट्टी पानी की निरीक्षण रिपोर्ट ।

दिनांकः

प्रार्थी के हस्ताक्षर

मत्स्य अधिकारी

जिला मत्स्य अधिकारी

अधिक जानकारी हेतु मंडल स्तर पर उपनिदेशक, मत्स्य एवं जिला स्तर पर जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी के कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते है अथवा विभागीय वैब साईट http://www.harfish.gov.in पर देख सकते है।

शर्ते :–

1. आवेदक के पास भूमि निजी या लीज पर होनी चाहिए । लीज अवधि न्युनतम 3 वर्ष या अधिकतम 8 वर्ष या आगे होनी चाहिए तथा लीज डीड रजिर्स्टड होनी चाहिए।

2. तालाब का ऐरिया 1.00 हैक्टेयर होना चाहिए ।
3. लाभ की सीमा 1.00 हैक्टेयर ऐरिया प्रति लाभ पात्र होगी। यदि आवेदनों की समुचित संख्या प्राप्त नही होती है तो 1.00 हैक्टेयर ऐरिया पात्रता की सीमा इसके अनुरूप बढाई जायेगी ।
4. आवेदक 21 से 60 की आयु के समूह का होना चाहिए ।
5. आवेदक की भूमि जिस पर तालाब खोदा जाना है की स्पष्ट टाईटल सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों से सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि किसी जिले में निर्धारित लक्ष्यो से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो उनका चयन लॉटरी (ड्रॉ) के माध्यम से किया जायेगा।
7. साईट झींगा पालन के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त होनी चाहिए । इस संदर्भ मे स्थल की उपयुकत्ता हेतु सर्टीफिकेट सी0आई0एफ0ई0 सेंटर, लाहली (रोहतक) से प्राप्त किया होना चाहिए ।
8. आवेदक हरियाणा का बोनाफाईड निवासी होना चाहिए ।
9. सबसीडी बैंक लोन /स्वंय–वित्त पोषण पर प्रदान की जायेगी ।
10. किसानों का वित्तीय स्तर लाभपात्रियों के चयन हेतु विचारार्थ होगा ।
11. आवेदक नियमों व शर्तो के अनुसार अपने दस्तावेज जमा करवा सकते है तथा इस बारे अधिक जानकारी व विस्तृत निर्देशों के लिए सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी/जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।
12. यह विज्ञापन व आवेदन पत्र विभाग की वैब साइट http://www.harfish.gov.in पर उपलब्ध है ।

(आर.के.सांगवान)
निदेशक मत्स्य पालन हरियाणा,
बेज न0 31–32, सैक्टर 4,
पंचकूला ।